रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 117] नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 1998/ज्येष्ठ 11, 1920
No. 117] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 1998/JYAISTHA 11, 1920

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 1998

फा. सं. 6(1)/98-डीबीए-2.—भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्यों में औद्योगिक एककों हेतु केन्द्रीय अनुदान अथवा राजसहायता की निम्नलिखित योजना बनाई है :—

1. **संक्षिप्त नाम :** यह योजना केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 1997 कहलायेगी।

2. **प्रारंभ और अवधि :** यह योजना 24 दिसम्बर, 1997 से प्रभावी होगी तथा 31 मार्च, 2007 तक प्रवृत्त रहेगी।

3. **लागू होना :** यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अनुमोदित विकास केन्द्रों में उन सभी औद्योगिक एककों में और नई औद्योगिक एककों अथवा उनके अन्य विकास केन्द्रों में पर्याप्त विस्तार अथवा आई आई डी सी अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों द्वारा स्थापित औद्योगिक एस्टेट/पार्क/निर्यात संवर्धन क्षेत्रों तथा इन विकास केन्द्रों से बाहर स्थापित तथा अन्य वर्गीकृत स्थापना स्थलों के विशिष्ट उद्योगों (अनुबंध-क के अनुसार) में नए औद्योगिक एककों अथवा उनके पर्याप्त विस्तार में भी लागू रहेगी।

4. **परिभाषाएं :**

(क) "औद्योगिक एकक" से अभिप्रेत है कोई भी औद्योगिक उपक्रम और उपयुक्त सेवा एकक जो सरकार द्वारा विभागीय रूप से चलाये गए एकक से भिन्न है।

(ख) "नए औद्योगिक एकक" वह औद्योगिक एकक अभिप्रेत है जिसके बनाए जाने के लिए प्रभावपूर्ण कार्यवाही 24 दिसम्बर, 1997 से पूर्व नहीं की गई थी।

(ग) "विद्यमान औद्योगिक एकक" से वह औद्योगिक एकक अभिप्रेत है जिसके बनाए जाने के लिए प्रभावपूर्ण कार्यवाही 24 दिसम्बर, 1997 से पूर्व की गई थी।

(घ) "पर्याप्त विस्तार" से क्षमता, आधुनिकीकरण आदि के प्रयोजनों के लिए किसी औद्योगिक एकक के संयंत्र तथा मशीनरी में स्थिर पूंजी

निवेश के मूल्य में 33-1/3 प्रतिशत से अन्यून की वृद्धि अभिप्रेत है।

(ङ) "प्रभावी उपाय" से निम्नलिखित कार्यवाहियों में से एक या अधिक अभिप्रेत है :

(i) कि औद्योगिक एकक के लिए जारी पूंजी का 10% अथवा अधिक प्रदत्त किया जा चुका है।

(ii) कि फैक्टरी बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा निर्मित कर दिया गया है।

(iii) कि औद्योगिक एकक के लिए अपेक्षित किसी संयंत्र तथा मशीनरी हेतु निश्चित आर्डर दे दिया गया है।

(च) "स्थिर पूंजी निवेश" से इस योजना के प्रयोजन के लिए संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश अभिप्रेत है।

5. स्वीकार्य राजसहायता की सीमा

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अनुमोदित विकास केन्द्रों में स्थापित सभी पात्र औद्योगिक एककों को उनके नए एककों के संबंध में उनके निवेश की 15% की दर पर पूंजीगत निवेश राजसहायता दी जाएगी अथवा संयंत्र तथा मशीनरी में पर्याप्त विस्तार के संबंध में अतिरिक्त निवेश दिया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए होगी।

5.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों द्वारा स्थापित नए औद्योगिक एककों अथवा अन्य विकास केन्द्रों में उनके पर्याप्त विस्तार अथवा आई आई डी सी अथवा औद्योगिक एस्टेट/पार्क/निर्यात संवर्धन क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। इन विकास केन्द्रों से बाहर तथा अन्य वर्गीकृत स्थापना स्थलों में स्थापित विनिर्दिष्ट उद्योग (अनुबंध-क के अनुसार) नए औद्योगिक एकक अथवा उनका पर्याप्त विस्तार भी इसी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहनों के पात्र होंगे।

6. संयंत्र तथा मशीनरी

संयंत्र तथा मशीनरी के मूल्य की गणना करने में स्थापना स्थल पर पूर्ण रूप से स्थापित हो जाने पर औद्योगिक संयंत्र तथा मशीनरी की लागत को हिसाब में लिया जाएगा जिसमें टूल, जिग्स, डाइ तथा मोल्डस, बीमा प्रीमियम इत्यादि जैसे उत्पादक उपकरणों की लागत भी शामिल होगी।

6. (क) कच्चे माल के परिवहन तथा तैयार उत्पादों के विपणन हेतु वास्तविक रूप से उपयुक्त की गई राशि माल को लाने ले जाने में निवेश की गई राशि हिसाब में ली जाएगी।

(ख) कच्चे माल तथा अन्य उपभोज्य भंडारों सहित कार्यशील पूंजी के संयंत्र तथा मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा।

7. राजसहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेंसी

पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम (एनईडीएफआई) संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर पूंजी निवेश राजसहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेंसी होगी।

8. पूंजी निवेश राजसहायता दावा करने हेतु प्रक्रिया

उक्त योजना के तहत राजसहायता के लिए पात्र औद्योगिक एककों को नए एककों को स्थापित करने अथवा विद्यमान एककों का पर्याप्त विस्तार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने से पूर्व संबंधित राज्य विभाग में अपने आपको पंजीकृत कराना होगा तथा अपने एककों की संयंत्र तथा मशीनरी में उनके द्वारा की जाने वाली कुल अतिरिक्त संभावित स्थिर पूंजी का अपना निर्धारण दर्शाना होगा। ऐसी एककों, जिन्होंने योजना की घोषणा की तिथि से पूर्व प्रभावी उपाय किए हैं लेकिन 24-12-97 के पश्चात् को 31-12-1998 तक अपने आपको पंजीकृत कराना होगा।

9. पूंजी निवेश राजसहायता के संवितरण हेतु प्रक्रिया

संबंधित प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक मामले के संबंध में राजसहायता की स्वीकृति और उसकी मात्रा के बारे में अर्हता पर निर्णय लेने के लिए एक समिति गठित करेगी जिसमें प्रत्येक संबंधित राज्य विभाग, राज्य वित्त विभाग, राज्य उद्योग निदेशालय तथा यदि औद्योगिक एकक की सहायता वित्तीय संस्थान करता है तो संबंधित वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

10. वित्तीय संस्थाओं अथवा संबंधित राज्य सरकार से सहायता के बिना स्थापित नये औद्योगिक एकक के संबंध में एकक को राजसहायता पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम द्वारा एकक के उत्पादन शुरू करते समय राज्य सरकार की सिफारिश पर वितरित की जाएगी। इसी तरह वित्तीय संस्थानों अथवा संबंधित राज्य सरकारों से बिना सहायता प्राप्त विद्यमान औद्योगिक एकक द्वारा उसके पर्याप्त विस्तार के संबंध में एकक को राजसहायता पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम द्वारा संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर एकक में पर्याप्त विस्तार किए जाने और एकक द्वारा उत्पादन शुरू कर दिए जाने के पश्चात् दी जाएगी। तथापि, ऐसे मामलों में जहां संबंधित राज्य सरकार सरकारी निधियों की सुरक्षा के बारे में संतुष्ट है, अनुमानित राजसहायता की आधे से अनधिक राशि एकक के उत्पादन शुरू होने से पूर्व राज्य उद्योग निदेशालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रभावी कदम उठाये जाने संबंधी एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही जारी की जाए तथा शेष राशि एकक द्वारा उत्पादन शुरू होने के पश्चात् ही जारी की जाए।

11. संबंधित राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक एकक के संबंध में राजसहायता संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम द्वारा वितरित की जाएगी। ऐसे मामलों में, राज्य सरकार तथा संबंधित एकक के बीच एक अनुबंध/करार किया जाए जिसमें गिरवी, शपथ, राजसहायता की राशि तक परिसंपत्तियों को गिरवी रखना शामिल हो। वित्तीय संस्थान से सहायता प्राप्त नए औद्योगिक एकक अथवा विद्यमान औद्योगिक एकक पर्याप्त विस्तार के संबंध में एकक को राजसहायता उतनी ही किश्तों में वितरित की जाएगी जैसे कि वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण वितरित किया जाता है तथा साथ ही साथ पूर्वोत्तर विकास वित्तीय संस्थान से वित्तीय संस्था द्वारा दावा किया जाए । ऐसे मामलों में वित्तीय संस्था तथा संबंधित एकक के बीच अनुबंध/करार कर लिया जाए जिसमें गिरवी/शपथ/संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिम ऋण की राशि तक एकक की परिसंपत्तियों को गिरवी रखना तथा राजसहायता शामिल हो।

12. **केन्द्र/राज्य सरकार/वित्तीय संस्थाओं के अधिकार**

यदि केन्द्रीय सरकार/संबंधित राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान इस बात से संतुष्ट है कि किसी औद्योगिक एकक ने राजसहायता अथवा अनुदान किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्याकथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करके प्राप्त किया है अथवा यदि वह एकक प्रारंभ से 5 वर्ष के अन्दर उत्पादन बंद कर देता है तो केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान संबंधित एकक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अनुदान अथवा राजसहायता वापिस करने के लिए कह सकते हैं।

13. उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग/संबंधित राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना औद्योगिक एकक के किसी भी स्वामी को, संपूर्ण अनुदान अथवा राजसहायता या उसका कोई भाग प्राप्त करने के पश्चात् उस संपूर्ण औद्योगिक एकक या उसके किसी भाग के स्थापना स्थल को बदलने के लिए या उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के अन्दर अपने कुल निर्धारित पूंजी निवेश में पर्याप्त संक्षेपण अथवा इसके पर्याप्त भाग का निपटान करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

14. उन सभी एककों के संबंध में जिनको अनुदान अथवा राजसहायता का वितरण संबंधित वित्तीय संस्थान/राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, इस आशय का प्रमाण पत्र कि अनुदान अथवा राजसहायता का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए किया गया है जिनके लिए वह दी गई है, केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को संबंधित वित्तीय संस्थान/राज्य सरकार द्वारा उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिया जाएगा जिस तिथि को अंतिम किश्त/पूरी रकम प्राप्त हुई हो।

15. अनुदान अथवा राजसहायता प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्येक औद्योगिक एकक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के लिए अपने कार्यचालन के बारे में उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग/संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

श्रीमती प्रतिभा करन, संयुक्त सचिव

"अनुबन्ध—क"

पूर्वोत्तर क्षेत्रों के उचित विकास के लिए कृषि-वन तथा गैस आधारित उद्योगों की अंतरिम सूची :

1. फल तथा सब्जी प्रसंस्करण

1. डिब्बा बन्द/बोतल उत्पाद
2. ऐस्पैटिक पैकेज प्रोडक्टस
3. फ्रोजन उत्पाद
4. निर्जलित उत्पाद
5. ओलीओरसिन

2. मांस तथा कुक्कुट उत्पाद

1. मांस उत्पाद (भैंस, भेड़, बकरी तथा सुअर)
2. कुक्कुट उत्पाद
3. ऐंग पावर प्लांट

3. अनाज आधारित उत्पाद

1. स्टारच तथा इसके व्युत्पन्नों सहित ज्वार मिलिंग
2. डबलरोटी, बिस्कुट, नाश्ते के अनाज आदि

4. **उपभोक्ता उद्योग**

1. स्नैक
2. गैर-अल्काहालिक पेय
3. चाकलेट सहित मिठाइयां
4. पेस्ता उत्पाद
5. प्रसंस्कृत मसाले आदि
6. प्रसंस्कृत दालें
7. टेपियन उत्पाद

5. **दूध तथा दुग्ध आधारित उत्पाद**

1. दुग्ध पाउडर
2. पनीर
3. मक्खन/घी
4. शिशु आहार
5. दूध छुड़ाने वाले आहार
6. माल्टेड युक्त दुग्ध आहार

6. **खाद्य पैकेजिंग**

7. **कागज उत्पाद**

8. **जूट तथा मेस्टा प्रोडक्ट**

9. **पशु/मुर्गी/मत्स्य चारा उत्पाद**

10. **खाद्य तेल प्रसंस्करण/वनस्पति**

11. **मौलिक तथा सुगन्धित तेल का प्रसंस्करण**

12. **प्रसंस्करण तथा बागानों की उपज में वृद्धि :**

1. चाय, रबड़, काफी, नारियल आदि।

13. **गैस आधारित मध्यवर्ती उत्पाद**

1. गैस अन्वेषण तथा उत्पादन
2. गैस वितरण तथा बोटलिंग
3. विद्युत उत्पादन
4. प्लास्टिक
5. रेशे के लिए कच्चा माल
6. उर्वरक
7. मैथानोल
8. फार्मलडीहायसिकल तथा एफ आर रीसिन मैलम्म तथा एम एफ रेजिन
9. मिथाइलेशइन, हैक्सामिथाइलेन टैट्रानाइन, अमोनिया बाई कार्बोनेट
10. नाईट्रिक एसिड तथा अमूनिया नाइट्रेट
11. कार्बन ब्लैक
12. पॉलीमार चिप्स

14. **कृषि-वन**

15. **बागबानी**

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Policy & Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 1998

F. No. 6(1)/98-DBA-II.—The Government of India is pleased to make the following scheme of Central Grant or Subsidy for industrial units in the North Eastern Region comprising the States of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Tripura with a view to accelerating the industrial development in the region.

1. **Short Title :**—This scheme may be called the Central Capital Investment Subsidy Scheme, 1997.

2. **Commencement and duration :**—It will come into effect from the 24th December, 1997 and remain in force upto and inclusive of 31-3-2007.

3. **Applicability :**—The scheme is applicable to all industrial units in the Growth Centres approved for the North Eastern region and also to the new industrial units or their substantial expansion in other Growth Centres or IIDC or industrial estates/parks/export promotion zones set up by the States in the North Eastern region and new industrial units or their substantial expansion in the specified industries (as at Annex. A) located outside these growth centres and other identified locations.

4. **Definitions :**—

(a) 'Industrial unit' means any industrial undertaking, suitable servicing unit other than that run departmentally by Government.

(b) 'New Industrial Unit' means an industrial unit for the setting up of which effective steps were not taken prior to 24th December, 1997.

(c) 'Existing Industrial Unit' means an industrial unit for the setting up of which effective steps were taken prior to 24th December, 1997.

(d) 'Substantial Expansion' means increase in the value of fixed capital investment in plant and machinery of an industrial unit by not less than 33½% for the purpose of expansion of capacity/modernisation etc.

(e) 'Effective steps' means one or more of the following steps :—

(i) that 10% or more of the capital issued for the industrial unit has been paid up.

(ii) that any part of the factory building has been constructed.

(iii) that a firm order has been placed for any plant and machinery required for the industrial unit.

(f) 'Fixed Capital Investment' means investment in plant and machinery for the purpose of this scheme.

5. **Extant of admissible subsidy**

All eligible industrial units located in the Growth Centres approved for North Eastern Region shall be given capital investment subsidy at the rate of 15% of their investment in respect of new units or additional investment in respect of substantial expansion in plant and machinery subject to a maximum ceiling of Rs. 30 lakhs.

5.1 Similar benefits would also be extended to the new industrial units or their substantial expansion in other Growth Centres or IIDC or industrial estates/parks/export promotion zones set up by the States in the North Eastern Region. new industrial unit or their substantial expansion in the specified industries (as at Annexure 'A') located outside these growth centres and other identified locations would also be eligible for similar fiscal incentives.

6. **Plant & machinery**

In calculating the value of plant and machinery the cost of industrial plant and machinery as erected at site will be taken into account which will include the cost of productive equipment, such as tools, jigs, dies and moulds, insurance premium etc.

6(a) The amount invested in goods carriers to the extent they are actually utilised for transport of raw materials and

1509 GI/98-2

marketing of the finished products, will be taken into account.

6(b) Working capital including raw materials and other consumables stores, will be excluded for computing the value of plant and machinery.

7. **Designated Agency for disbursement of subsidy**

North Eastern Development Financial Corporation (NEDFI) shall lbe the designated agency for disbursement of Capital Investment Subsidy on the basis of the recommendation of the concerned State Government.

8. **Procedure for claiming Capital Investment Subsidy**

Industrial units eligible for subsidy under the scheme will get themselves registered with the State Department concerned prior to taking effective steps for setting up the new units or undertaking substantial expansion of the existing units and indicate their assessment of the total additional fixed capital likely to be invested by them in the plant and machinery of their unit. Such of the units as had taken effective a steps prior to the date of announcement of the scheme but afters 24-12-1997 will get themselves registered by 31-12-1998.

9. **Procedure for disbursement of Capital Investment Subsidy**

Each State Goverment concerned will set up a Committee consisting of a representative each of the State Department concerned, the State Finance Department, State Directorate of Industries and if the industrial unit is to be assisted by a financial institution, the financial institution concerned, to go into each case to decide whether it should qualify for the grant of subsidy and also about the quantum of subsidy.

10. In respect of a new industrial unit set up without assistance from the financial institutions or the State Government concerned, the subsidy will be disbursed the unit by NEDFI on the recommendation of the State Government at the time the unit goes into production. Similarly, in respect of substantial expansion by an existing industrial unit without asistance from the financial institutions or the State Government concerned, the subsidy will be disbursed to the unit by NEDFI on the recommendation of the State Government concerned after substantial expansion has been effected and the unit has gone into production. However, in such cases where the concerned State Government is satisfied about the safety of the public funds, not more than half of the amount of the estimated subsidy may be released prior to the unit going into production on the entrepreneur's furnishing a proof of having taken effective steps to the satisfaction of State Director of Industries and the remaining amount be released only after the unit goes into production.

11. In respect of an industrial unit to be assisted by the State Government concerned, the subsidy will be disbursed to the unit by NEDFI on the recommendation of the State Government concerned. In such cases, the contract/agreement to be drawn up between the State Government and the unit concerned, may cover mortgage, pledge, hypothecation of the assets upto the amount of the subsidy. In respect of new industrial unit or in respect of substantial expansion of an existing industrial unit to be assisted by a financial institution the subsidy will be disbursed to the unit by the financial institution in as many instalments as the loan is disbursed by the financial institution and simultaneously claimed by the Financial Institution from NEDFI. In such cases, the contract/agreement to be drawn up between the financial institution and the unit concerned may cover mortgage/ pledge/hypothecation of the assets of the unit upto the amount of the loan to be advanced by the financial institution concerned and the subsidy.

12. **Rights of the Centre/State Government/Financial Institutions**

If the Central Government/State Government/Financial Institutions concerned is satisfied that the subsidy or grant to an industrial unit has been obtained by misrespresentation as to an essential fact, furnishing of false information or if the uint goes out of production within 5 years after commencement, the Central Government/State Government/Financial Institution concerned may ask the unit to refund the grant or subsidy after giving opportunity to the concerned to be heard.

13. Without taking prior approval of the Ministry of Industry, Department of Industrial Policy and Promotion/State Government/Financial Institution concerned, no owner of an industrial unit after receiving a part or the whole of the grant or subsidy will be allowed to change the location of the whole or any part of industrial unit or affect any substantial contraction or disposal of a substantial part of its total fixed capital investment within a period of 5 years after its going into production.

14. In respect of all units to whom the grant or subsidy is disbursed by the financial institution/State Government, certificate of utilisation of the grant or subsidy for the purpose for which it was given shall be furnished to the Central Ministry of Industry, Department of Industrial Policy and Promotion by the financial institution/State Government concerned within a period of one year from the date of receipt of the last instalment/full amount.

15. After receiving the grant of subsidy, each industrial unit shall submit annual Progress report to the Ministry of Industry, Department of Industrial Policy and Promotion/State Government concerned, about its working for a period of 5 years after going into production.

MRS. PRATIBHA KARAN, Jt. Secy.

ANNEX—A

Tentative List of Agro-Forest and Gas-based Industries Appropriate for Development in the North Eastern Regions

1. **Fruit and Vegetable Processing**
   - (i) Canned/Bottled Products
   - (ii) Aeseptic Packaged Products
   - (iii) Frozen Products
   - (iv) Dehydrated Products
   - (v) Oleoresins
2. **Meat and Poultry Products**
   - (i) Meat Products (buffalo, sheep, goat and pork)
   - (ii) Poultry Production
   - (iii) Egg Power Plant
3. **Cereal Based Products**
   - (i) Maize Milling including starch and its derivatives
   - (ii) Bread Biscuits, Break fast Cereals etc.
4. **Consumer Industry**
   - (i) Snacks
   - (ii) Non-Alcoholic Beverages
   - (iii) Confectionery including Chocolate
   - (iv) Pasta Products
   - (v) Processed Spices etc.
   - (vi) Processed Pulses
   - (vii) Tapioen Products
5. **Milk and Milk-based Products**
   - (i) Milk Power
   - (ii) Cheese
   - (iii) Butter/Ghee
   - (iv) Infant Food
   - (v) Weaning Food
   - (vi) Malted Milk Food
6. **Food Packaging**
7. **Paper Products**
8. **Jute and Mesta Products**
9. **Cattle/Poultry/Fishery Feed Production**
10. **Edible Oil Processing/Vanaspati**
11. **Processing of Essential Oils and Fragrances**

12. **Processing and Raising of Plantation Crops**

    (i) Tea, Rubber, Coffee, Coconut etc.

13. **Gas based Intermediate Products**

    (i) Gas exploration and Production

    (ii) Gas Distribution and Bottling

    (iii) Power Generation

    (iv) Plastics

    (v) Yarn Raw Materials

    (vi) Fertilizers

    (vii) Methanol

    (viii) Formaldebycle and FR Resin Melamme and MF Resin

    (ix) Methylamine, Hexamethylene Tetranine, Ammonium Bi-Carbonate

    (x) Nitric Acid and Ammonium Nitrate

    (xi) Carbon Black

    (xii) Polymer Chips

14. **Agro Forestry**

15. **Horticulture**

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.